न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–7/2023

महम्मद शाहिद राजा..वादी

बनाम

नेसार अहमद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
30.09.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–02 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 12.08.2024 अंतर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम के धारा 05 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–02 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.08.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–02 दिनांक 02.09.2023 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। वादग्रस्त भूमि से संबंधित कुछ आवश्यक कागजात समय से नहीं मिलने के कारण प्रतिवादी सं0–02 का बयान तहरीरी तैयार नहीं हो सका जिस कारण बयान तहरीरी समय से दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादी सं0–02 द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–02 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–02 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–02 दिनांक 02.09.2023 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 12.02.2024 को प्रतिवादी सं0–02 को बयान तहरीरी देने से वंचित किया गया है तथा दिनांक 12.08.2024 को प्रतिवादी सं0–02 की ओर से बयान तहरीरी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–7/2023

महम्मद शाहिद राजा..वादी

बनाम

नेसार अहमद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 30.09.2024	दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–02 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–02 द्वारा नियत समय के बाद दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 का आवेदन दिनांक 12.08.2024 मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–02 की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 13.11.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	